

## विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 183/वि०स०/प०का०/१५(प)/२०२३ टी०सी०

लखनऊ, दिनांक 14 जून, 2024

### अधिसूचना

#### प्रकीर्ण

चूंकि, श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान बाल्मीकि, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-71, खैर, जिला-अलीगढ़ से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं;

और, चूंकि, श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान बाल्मीकि द्वारा अपने उक्त निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 14 जून, 2024 के अपराह्न से त्याग-पत्र दे दिया गया है, जिसे माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-190 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत दिनांक 14 जून, 2024 के अपराह्न को स्वीकार कर लिया गया है;

अतः एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान बाल्मीकि का उक्त स्थान दिनांक 14 जून, 2024 के अपराह्न से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,

**प्रदीप कुमार दुबे,**

प्रमुख सचिव।

संख्या : 183(1)/वि०स०/प०का०/१५(प)/२०२३ टी०सी०, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-श्री राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव को श्री राज्यपाल की सूचनार्थ,

2-श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान बाल्मीकि, मकान नं०-1, नियर नादा पुल, खैर रोड, जनपद-अलीगढ़, उ०प्र०,

3-उत्तर प्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्यगण,

4-जिलाधिकारी, जनपद-अलीगढ़,

5-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,

6-महातेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,

7-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,

8-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

**मोहम्मद मुशाहिद,**

विशेष सचिव।

संख्या : 183(2)/वि०स०/प०का०/१५(प)/२०२३ टी०सी०, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली (फैक्स सं० ०११-२३०५ २००७) को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, २०२३ के नियम-२७९(6) एवं (7) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित।

**मोहम्मद मुशाहिद,**

विशेष सचिव।